डीजी–परिपत्र संख्या– 16/2021

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मई 20, 2021

विषयः–ऐसी हत्यायें जिन्हें रोका जा सकता है की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

विगत कुछ समय से यह देखने में आया है कि कतिपय जनपदों में हत्या जैसी जघन्य घटनायें घटित हुयी हैं, जो अत्यन्त चिंतनीय हैं। घटित अपराधों में हत्या के कारणों का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि अधिकांश हत्या की घटनायें विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वंदिताओं से उत्पन्न विवाद/रंजिश के कारण घटित हुई हैं ।

इस प्रकार की घटनाओं में विशेषकर यह भी तथ्य प्रकाश में आये हैं कि महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हुयी छेड़खानी से उत्पन्न विवादों तथा अन्य आपसी विवादों के कारण हत्या की घटनायें घटित हुयी हैं, जिनका थाना स्तर पर निराकरण रागय रो किया गया होता तो कदाचित ऐसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र/दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। हत्या जैसे जघन्य अपराधों के घटित होने से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यालय स्तर से प्रेषित किये गये परिपत्रों का गहराई से न तो परिशीलन किया गया है और न ही परिपत्रों में लिखित निर्देशों का तत्परता से अनुपालन कराया गया है। हत्या जैसे अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु पहले से ही बहुत उपयोगी तथा सार्थक परिपत्र प्रेषित किये गये हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा इन परिपत्रों एवं Protocols का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र–11/1994	दिनांक 12.10.1994
डीजी परिपत्र–01/1995	दिनांक 14.01.1995
डीजी परिपत्र–23/2007	दिनांक 14.06.2007
डीजी परिपत्र–68/2007	दिनांक 21.08.2007
डीजी परिपत्र–44/2008	दिनांक 11.08.2008
डीजी परिपत्र–26/2020	दिनांक 14.08.2020
डीजी परिपत्र–46/2020	दिनांक 29.12.2020

हत्या जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम की दिशा में अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर सभी सम्भव उपाय किये जाये एवं पूर्व में निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए त्वरित कार्यवाही की जाये–

- यह अविवादित है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध का कारण कोई न कोई विवाद होता है या रंजिश होती है। हत्या की प्रत्येक घटना के पीछे रंजिश अथवा विवाद का पता थाना स्तर पर निश्चित रूप से किया जा सकता है।
- समस्त ग्रामों/मोहल्लों का एक बार भ्रमण कर इस बात की समीक्षा क्षेत्राधिकारी स्तर से कर ली जाये कि कहीं किसी भी प्रकार की गुटबंदी व वैमनस्यता तो नही है। यदि गुटबाजी या वैमनष्यता परिलक्षित होती है तो यथा अपेक्षित निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- हत्या के ऐसे अभियोग, जिनका अनावरण नही हुआ है क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में अनावरण की कार्यवाही करायें एवं इन प्रकरणों के अनावरण का दायित्व व्यक्तिगत रूप से थाना प्रभारी को सौंपा जाये।
- थाना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाय कि ग्राम/मोहल्ला अपराध रजिस्टर की प्रविष्टियां अद्यावधिक हैं और हल्का उ0नि0 द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त विवादों की निगरानी की जा रही है।

Scanned by CamScanner

- थाना स्तर पर ग्राम/मोहल्लों में प्रचलित अथवा उत्पन्न तनाव अथवा विवाद को उ0नि0/बीट आरक्षी द्वारा चिन्हित किया जाये।
- बीट आरक्षी की बीट बुक का थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये एवं सुनिश्चित किया जाये कि बीट आरक्षी द्वारा अपने बीट क्षेत्र की लाभप्रद सूचनायें क्रमवार अंकित की जा रही हैं।
- क्षेत्राधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षक अवश्य किया जाए और थाने के निरीक्षक के समय ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर, बीट रजिस्टर का अनिवार्य रूप से निरीक्षण अवश्य किया जाए एवं उपर्युक्त प्रकरणों में समुचित निर्देश भी निर्गत किये जाए।
- ऐसे दुर्दांत अपराधी जो हत्या जैसे जघन्य अपराधों के प्रकरणों में बार–बार नामित किये गये हों अथवा प्रकाश में आये हों तो ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण कराकर जेल भेजा जाये और इनके प्रकरणों में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया जाये।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र में पेशेवर हत्यारों व अवैध शस्त्र बनाने वालों को चिन्हित कर उनकी सतत् निगरानी की जाये। किसी प्रकार की विधिविरूद्ध गतिविधियां प्रकाश में आने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- किसी भी विवादित प्रकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही यथा 151 दं0प्र0सं0 तथा लाईसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही परिणति तक पहुँचाने की प्रकिया का सूक्ष्म पर्यवेक्षण थाना प्रभारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। मात्र 107/116 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित कर देना अथवा शस्त्रों के लाईसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित कर देना कर्तव्यों की इतिश्री नहीं है। वरन् यह सुनिश्चित करना होगा कि धारा 116(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि से पाबन्द कराने एवं शस्त्र लाईसेंस के निलम्बन/निरस्तीकरण के संबंध में प्रभावी पैरवी कर आदेश प्राप्त करके तत्काल शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाय ।
- हत्या के जो प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं थाना प्रभारी उन प्रकरणों में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर आरोपी को दण्डित कराने का यथा प्रयास करेंगे।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि विवादजनित हत्या के प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित की जाने वाली आख्या निर्धारित प्रारूप में तत्काल प्राप्त करे एवं स्वयं समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि घटना के सम्बन्ध में समस्त निर्देशों का अनुपालन पूर्व में हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो लापरवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारी का दोष निर्धारित करते हुए स्वयं अपेक्षित कार्यवाही करेंगे तथा अपर पुलिस महानिदेशक जोन के माध्यम से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भी अवगत करायेंगे।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस परिपत्र में तथा इस विषय में पूर्व में विशेष रूप से निर्गत परिपत्रों यथा सं0:–46/2020 दिनांक 29.12.2020 एवं 26/2020 दिनांक 14.08.2020 से सभी सम्बन्धित पूर्ण रूप से भिज्ञ हो जायें तथा परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन करेंगे।
- अर्दली रूम के दौरान क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हत्या से सम्बन्धित पंजीकृत सभी प्रकरणों की गहराई से समीक्षा करेंगे। पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध गोष्ठी में जनपद में हुयी हत्या में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अभियोग की प्रगति, हत्या में प्रयुक्त शस्त्र लाईसेंस का निरस्तीकरण तथा शस्त्रों की जमा होनी की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार अवैध असलहों के प्रयोग से हुयी हत्या की समीक्षा करेंगे कि यह हत्या में प्रयोग किये गये अवैध शस्त्र के प्राप्त करने का श्रोत क्या है, उसके विरूद्ध भी कार्यवाही करायेंगे।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मैं चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का आप स्वंय गम्भीरता से अध्ययन कर एक कार्यशाला के माध्यम से जनपदों में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner